न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
017/2019 (GCMS 2019/00101)	08.07.2019	29.01.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

तुलसीराम पिता भुंगडामल सिंधी मैसर्स तुलसीराम नरेश कुमार चित्तौड़ रोड बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ निवासी चौथमाता मंदिर के पास, बेंगूं तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत द्वारा दिनांक 24.10.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification /2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था। जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.10.2018 को समय 1:40 पीएम मैसर्स तुलसी राम नरेश कुमार, चित्तौड़ रोड, बेगू जिला चित्तौड़गढ़ पर पहुंचा। वहां पर तुलसीराम सिंधी पुत्र भूंगड़ामल सिंधी उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ नमकीन (कृष्णा ब्रांड) व अन्य किराणा सामान आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे, एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर गवाहान श्री महेंद्रसिंह की उपस्थिति में मैंने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया, एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता व गवाहन की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर 500–500 ग्राम के पोलीपैक नमकीन (कृष्णा ब्रांड) सील्ड अवस्था में विक्रय हेतु रखा पाया गया। उक्त में से सील्ड पोलीपैक नमकीन (कृष्णा ब्रांड) को ध्यान से देखने पर उस पर नमकीन (कृष्णा) लोट नंबर 31, नेट वेट 500 ग्राम, एमआरपी 55/– रूपये, डेट ऑफ मैन्युफेक्चरिंग 26 सितंबर 2018, बेस्ट बिफोर [illegible] मंथ्स फ्रोम दे डेट ऑफ पेकेजिंग, मेन्युफेक्चरिंग बाय दीपक एग्रो फूड प्रोडक्ट्स, हलेड भीलवाड़ा आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अंकित पाया। विक्रेता के पास उक्त नमकीन (कृष्णा ब्रांड) का खरीद बिल नहीं होना पाया गया। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एसएसएसए एक्ट, 2006 के तहत जांच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V-A** की प्रति गवाहन की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देखकर प्राप्ति रसीद ली। जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों को गवाह बनने हेतु बार–बार आग्रह किया गया, किंतु किसी के भी गवाह बनने हेतु तैयार न होने पर श्री महेंद्र सिंह को गवाह बनाकर संपूर्ण कार्यवाही उनके सामने की गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त पदार्थ के चार सील्ड पॉलीपैक को वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रुपयें 220/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाए एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदाशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर–बराबर भागों में बांटकर चार प्लास्टिक डिब्बों में अलग–अलग रखकर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयरटाइट बंद किया। उक्त नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग में लेबल चिपकाए। लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर मैंने गवाहन व व्यापारी ने हस्ताक्षर किए थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-959** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोंद से चिपकाए एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सिरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर पर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहन के हस्ताक्षर कराकर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमूना के एक भाग (चौथा भाग) को एक एक्रीएटेड लैब में जांच कराने की जानकारी मौके पर ही मेरे द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। जिस सील से नमूना चपडी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग में फार्म नंबर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नंबर 6 की अलग से लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:05 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म संख्या 6 की अलग से सील्ड लिफाफ में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग-अलग रसीद प्राप्त की गई जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सीलबंद नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलबंद कर नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक/**FSSA/2018/4688** दिनांक 27.12.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जांच क्रयकिया गया था जो कि मिसब्रांडेड होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त फर्मो का प्राप्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई, जिसका फोवर्डिंग पत्र की मूल कार्यालय प्रति व मूल पोस्टल रसीदों के संलग्न है। उक्त फर्मो के संविधान के संबंध में मेरे द्वारा रजिस्टर्ड पत्र से जानकारी चाही गई जो कि मूल ही मय पोस्टल रसीदों के संलग्न है। मेरे द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज क्रमांक/**FSSA/2018/4688** दिनांक 27.12.2018 की पालना में श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/**FSSA/2019/2025** दिनांक 18.06.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ अलग है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने मिस ब्राण्डेड नमकीन (कृष्णा ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है जिसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित हैं, अतः उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सकें।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 12.09.2019 को अप्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। अपने जवाब में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से इन्कार कर बताया कि अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही विधि विपरित एवं गलत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। आवेदन के साथ प्रस्तुत फूड एनालिस्ट, फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड लैबोरेट्री, उदयपुर की जांच रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित है कि खाद्य पदार्थ मिक्स नमकीन के कथित सैंपल पर पैक्ड ऑन 26.09.2018 अंकित है साथ ही बेस्ट बिफोर 3 मंथस फ्रोम पैकिंग भी अंकित है। कथित सैंपल दिनांक 24.10.2018 को लिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:05 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदन परिवाद के पेज नंबर 2 के पैरा नंबर 4 में अंकित है कि उसे जांच रिपोर्ट 27.12.2018 को प्राप्त हुई, बाद में जिसकी प्रति आवेदन परिवाद के पेरा नंबर 5 के अनुसार प्रार्थी को रजिस्ट्री से भेजी गई, किंतु अप्रार्थी को किस तारीख को भेजी गई, यह तारीख अंकित नहीं है। अप्रार्थी को उक्त जांच रिपोर्ट का लिफाफा रजिस्ट्री डाक से 07.03.2019 को प्राप्त हुआ। दिनांक 27.12.2018 को कथित खाद्य पदार्थ नमकीन के नमूने के बेस्ट बिफोर की अवसान तिथि थ्री मंथस समाप्त हो गई थी। इस अवसान तिथि के पश्चात अप्रार्थी को दोबारा नमूने की जांच रेफरल खाद्य लैबोरेट्री से कराने बाबत सूचित किया गया तो दोबारा जांच कराने का अप्रार्थी का अधिकार गंभीर रूप से दुष्प्रभावित हुआ है, क्योंकि अवसान तिथि के बाद नमूने की दोबारा जांच कराना निरर्थक था। मात्र इसी कानूनी बिंदु पर आवेदन–परिवाद अप्रार्थी के विरुद्ध निरस्तनीय है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिस समय पर सैंपल लिया गया उस समय कथित खाद्य पदार्थ के नमूने के पेक पर लेबलिंग त्रुटि जैसा की जांच रिपोर्ट में उल्लेखित है, नहीं पाई गई क्योंकि यह त्रुटि ऐसी है जो आंखों से देखने मात्र से ही नजर आ सकती है, यदि वक्त सेंपलिंग उक्त लेबलिंग त्रुटि जिसके आधार पर नमूने को मिस ब्रांड पाया होती तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थ के नमूने लेते समय पेक को फिजिकली आब्जर्व करके ऐसा होना अपने पंचनामा, मौका निरीक्षण वह सैंपल लेने के पंचनामा में अवश्य अंकित करता, इस हेतु किसी रासायनिक परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण जांच रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को किसी मिसब्रांड के अपराध हेतु दंडित नहीं किया जा सकता हैं, एवं कार्यवाही है प्रार्थी के विरुद्ध ड्रॉप किए जाने योग्य है। खाद्य पदार्थ नमूने नमकीन का नमूना अप्रार्थी तुलसीराम के यहां से लिया गया वह खाद्य पदार्थ मैन्युफैक्चरर या पेकर दीपक एग्रो फूड प्रोडक्ट्स, हलेड भीलवाड़ा द्वारा शील्ड पोलीपैक अवस्था में है अप्रार्थी को जरिए बिल जो संलग्न है के द्वारा बेचा गया, उसी शील्ड पोलीपैक अवस्था में अप्रार्थी तुलसीराम से नमूना लिया गया था, उस शील्ड पोलीपैक में अप्रार्थी तुलसी राम ने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, जो पेक पर लेबलिंग त्रुटि होना पाकर नमूने को मिसब्रांड पाया गया, उसे पैक करने पर अंकित करने का दायित्व खाद्य पदार्थ नमकीन के सील्ड पोलीपैक करने वाले मैन्युफैक्चर या पेकर दीपक एग्रो फूड प्रोडक्ट्स, हलेड भीलवाड़ा का था। इस हेतु प्रार्थी तुलसीराम की कोई भूमिका या उत्तर दायित्व नहीं है। सील्ड पोलीपैक पर मैन्युफैक्चर दीपक एग्रो फूड प्रोडक्ट, हलेड भीलवाड़ा अंकित होना परिवाद एवं जांच रिपोर्ट में अंकित है, किंतु जो मिसब्रांड हेतु उत्तरदायी है उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर अप्रार्थी तुलसीराम जिसकी नमूने के मिसब्रांड होने के संबंध में कोई भूमिका ही नहीं है, के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही विधि अनुरूप में होने से निरस्त नहीं है। जिन फूड एनालिस्ट ने नमूने की जांच की एवं जिस लैबोरेट्री फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लैबोरेट्री उदयपुर द्वारा जांच की गई उन्हें विधि अनुसार अधिकार नहीं था, इस कारण उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर संस्थित कार्यवाही विधि विपरीत होने से निरस्तनीय है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष में अप्रार्थी तुलसीराम माननीय न्यायालय से निवेदन करता है कि फूड एनालिस्ट फूड सेफ्टी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:05 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एंड स्टैंडर्ड लैबोरेट्री, उदयपुर जिन्होंने जांच रिपोर्ट दी को साक्ष्य में जिरह हेतु तलब फरमाया जावे ताकि मामले के साथ वास्तविक न्याय हो सके। विकल्प में निवेदन है कि अप्रार्थी तुलसीराम बेगू जो कि सब डिवीजन है का छोटा किराना व्यापारी है, जो अन्य मैन्युफैक्चरर से पैक माल बिल से खरीद कर बेचता है और बमुश्किल अपने 7 सदस्य परिवार का भरण पोषण इसी आजीविका के साधन से करता है, अतः धारा 49 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2009 के प्रावधान को आकर्षित करता है, अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थी तुलसीराम के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावें। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

1- **2013(2) FAC 446 SUPREME COURT OF INDIA, Prevention of Food Adulteration Act, 1954, M/s Cargill Imdia Private Limited Verus State Of Haryana And Another**
2- **2012(2) Cr.L.R. (Raj.) 830 RAJASTHAN HIGH COURT, Prevention of Food Adulteration Act, 1954, Nemi Chand Agarwal Verus State Of Rajasthan**
3- **1996 FAC 197 SUPREME COURT OF INDIA, Prevention of Food Adulteration Act, 1954, Rameshwar Dayal Verus State Of U.P.**
4- **2009 FAC 199 MADRAS HIGH COURT, Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, P Robert Immanuel and another Verus The State Represented by the food inspector**
5- **2011(2) FAC 76 HIMACHAL PRADESH HIGH COURT, Prevention of Food Adulteration Act, 1954, Ganga Ram Verus State Of H.P.**
6- **2010(1) FAC 49 MADRAS HIGH COURT, Prevention of Food Adulteration Rules, 1955,**
7- **RLW 2005(1) RAJASTHAN HIGH COURT, Prevention of Food Adulteration Act, 1954, Damodar Prasad Verus The State Of Rajasthan**
8- **2010(1) FAC 378 PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT, Prevention of Food Adulteration Act, 1954, Anil Kumar Verus State Of Punjab and another**
9- **2012 FAC 402 PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT, Prevention of Food Adulteration Act, 1954, Vijay Kumar Verus State Of Punjab and another**
10- **AIR 1995 SUPREME COURT OF INDIA, Prevention of Food Adulteration Act, 1954, P. Unnikrishnan Verus Food Inspector Palghat.**

दिनांक 27.01.2021 को उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी में परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सकें। इस पत्र विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि आवेदन के साथ प्रस्तुत फूड एनालिस्ट, फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड लैबोरेट्री, उदयपुर की जांच रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित है कि खाद्य पदार्थ मिक्स नमकीन के कथित सैंपल पर पैक्ड ऑन 26.09.2018 अंकित है, साथ ही बेस्ट बिफोर 3 मंथस फ्रोम पैकिंग भी अंकित है। कथित सैंपल दिनांक 24.10.2018 को लिया गया। आवेदन परिवाद के पेज नंबर 2 के पैरा नंबर 4 में अंकित है कि उसे जांच रिपोर्ट 27.12.2018 को प्राप्त हुई, बाद में जिसकी प्रति आवेदन परिवाद के पेरा नंबर 5 के अनुसार प्रार्थी को रजिस्ट्री से भेजी गई, किंतु अप्रार्थी को किस तारीख को भेजी गई, यह तारीख अंकित नहीं है। अप्रार्थी को उक्त जांच रिपोर्ट का लिफाफा रजिस्ट्री डाक से 0[illegible]2019 को प्राप्त हुआ। दिनांक 27.12.2018 को कथित खाद्य पदार्थ नमकीन के नमूने के बेस्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:05 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बिफोर की अवसान तिथि थ्री मंथस समाप्त हो गई थी। इस अवसान तिथि के पश्चात अप्रार्थी को दोबारा नमूने की जांच रेफरल खाद्य लैबोरेट्री से कराने बाबत सूचित किया गया तो दोबारा जांच कराने का अप्रार्थी का अधिकार गंभीर रूप से दुष्प्रभावित हुआ है, क्योंकि अवसान तिथि के बाद नमूने की दोबारा जांच कराना निरर्थक था। मात्र इसी कानूनी बिंदु पर आवेदन–परिवाद अप्रार्थी के विरुद्ध निरस्तनीय है।खाद्य पदार्थ नमूने नमकीन का नमूना अप्रार्थी तुलसीराम के यहां से लिया गया वह खाद्य पदार्थ मैन्युफैक्चरर या पेकर दीपक एग्रो फूड प्रोडक्ट्स, हलेड भीलवाड़ा द्वारा शील्ड पोलीपैक अवस्था में है अप्रार्थी को जरिए बिल जो संलग्न है के द्वारा बेचा गया, उसी शील्ड पोलीपैक अवस्था में अप्रार्थी तुलसीराम से नमूना लिया गया था, उस शील्ड पोलीपैक में अप्रार्थी तुलसी राम ने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, जो पेक पर लेबलिंग त्रुटि होना पाकर नमूने को मिसब्रांड पाया गया, उसे पैक करने पर अंकित करने का दायित्व खाद्य पदार्थ नमकीन के सील्ड पोलीपैक करने वाले मैन्युफैक्चर या पेकर दीपक एग्रो फूड प्रोडक्ट्स, हलेड भीलवाड़ा का था। इस हेतु प्रार्थी तुलसीराम की कोई भूमिका या उत्तर दायित्व नहीं है। सील्ड पोलीपैक पर मैन्युफैक्चर दीपक एग्रो फूड प्रोडक्ट, हलेड भीलवाड़ा अंकित होना परिवाद एवं जांच रिपोर्ट में अंकित है, किंतु जो मिसब्रांड हेतु उत्तरदायी है उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर अप्रार्थी तुलसीराम जिसकी नमूने के मिसब्रांड होने के संबंध में कोई भूमिका ही नहीं है, के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही विधि अनुरूप में होने से निरस्त नहीं है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन कराया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये न्यायिक दृष्टांतो का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का मनन किया। उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप चस्पांगी नहीं होना जाहिर होता है। अप्रार्थी की और से प्रस्तुत मैसर्स दीपक फुड प्रोडक्ट, हलेड जिला भीलवाडा का **TAX INVOICE, Invoice No. 429, Dated 02-10-2018** का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या **LS 358/Act/2018/364** दिनांक 31.10.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन (कृष्णा ब्रांड) मिस ब्रांड होना पाया गया है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

ANALYSIS REPORT –

Sample description:- The sealed sample contained in a original company poly pack of 500g

Ingredients- Gram, Mutter Dal and Flours, Masoor, Dal, Rice, Poha, Makai Poha, Groundnut Grounnut Gula, Iodised Sa[illegible] Namak, Citric Acid, Spices and Garam Masala, Edible Veg. Oils (Specific Na[illegible] of [illegible]ble oil is Absent and also not given in

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:05 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

descending order) Contravention to Regulation 2.2.2(2)(b)(c) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011
(ii) Physical appearance - Yellowish and mixed namkeen in appearance.
(iii) Label :- Brand- Krishna Name of Artical- Namkeen, Mfg. by- Deepak Food Products. Haled, Bhilwara- 311402 (Raj.), Pkd. on.- 26.09.2018, Batch No.- 31, Best Before 3 Months From Packing, Green symbol of veg.- Present, Nutrition Information-Given, Fssai lic. No.- 12215016000104.
Opinion:- The sample of Namkeen (Krishna) bearing code no. and serial no. AM- 959 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is misbranded food. The sample is misbranded under section 3(1)(zł)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन (कृष्णा ब्रांड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zł)(C)(i)** के तहत मिस ब्राण्ड का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। यह सही है कि अप्रार्थी द्वारा ने उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ मैसर्स दीपक फुड प्रोडक्ट, हलेड जिला भीलवाडा द्वारा क्रय किया था। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थी तुलसीराम पिता भुंगडामल सिंधी मैसर्स तुलसीराम नरेश कुमार चित्तौड़ रोड बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ निवासी चौथमाता मंदिर के पास, बेंगूॅ तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:05 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

(c) The repetitive nature of the contravention,

(d) Whether the contravention is without his knowledge, and

(e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.

(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.

(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त तुलसीराम पिता भुंगडामल सिंधी मैसर्स तुलसीराम नरेश कुमार चित्तौड़ रोड बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ निवासी चौथमाता मंदिर के पास, बेंगूॅ तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त श्री तुलसीराम पिता भुंगडामल सिंधी मैसर्स तुलसीराम नरेश कुमार चित्तौड़ रोड बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ निवासी चौथमाता मंदिर के पास, बेंगूॅ तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ को 10000/– अक्षरे दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>29.01.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official